Australian Government

Tuition Protection Service

एजुकेशन प्रोवाइडर डिफॉल्ट के बाद विद्यार्थी सहायता प्रक्रिया

आपका शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदाता:

- उस कोर्स को बंद कर देता है या शुरू करने में विफल रहता है जिसमें आपने नामांकन करवाया था, अथवा कोर्स के बीच में ही कोर्स ऑफर करना बंद कर देता है; और
- प्रदाता आपकी ट्यूशन फीस रिफंड करने में सक्षम नहीं है, सक्रिय रूप से आपकी ट्यूशन फीस रिफंड नहीं कर रहा है, या किसी अन्य प्रदाता के साथ आपकी पढ़ाई पूरी करने का प्रबंध नहीं कर रहा है।

TPS इसे '**प्रोवाइडर डिफॉल्ट**' कहता है।

TPS आपके द्वारा अपने प्रदाता को दिए गए संपर्क विवरणों के साथ आपसे संपर्क करता है।

TPS आपको एक सूचना सत्र में भाग लेने का आमंत्रण भेजता है ताकि यह सलाह दी जाए कि आगे क्या करना है और आपको यह दिखाए कि TPS Online केस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग कैसे करना है।

TPS आपको लॉग इन करने के लिए एक ई-मेल भेजता है। **आप** www.tps.gov.au के माध्यम से TPS Online को ऐक्सेस कर सकते/ती हैं।

आप TPS Online पर लॉग इन करते/ती हैं।

TPS Online में, **आपको** अपना पासवर्ड बदलना होगा, यह बताना होगा कि क्या आपका प्रदाता आपके लिए अपने दायित्व पूरे करता है, फोटो का पहचान-पत्र (पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस) अपलोड करना होगा, और अपने संपर्क विवरण अपडेट करने होंगे।

TPS किसी वैकल्पिक ऑस्ट्रेलियाई प्रदाता के साथ आपकी शिक्षा और प्रशिक्षण पूरा करने/जारी रखने के लिए उचित विकल्प खोजने में आपकी सहायता कर सकता है।

यदि कोई उचित वैकल्पिक प्रदाता का पता नहीं मिलता है, या कोर्स ट्रांसफर अवधि समाप्त हो गई है, तो **TPS** आपके द्वारा भुगतान की गई किसी ऐसी फीस के रिफंड के लिए आपके क्लेम का आकलन करेगा जिसे पहले से ही आपके प्रदाता द्वारा आपकी शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रदान करने में प्रयुक्त न किया जा चुका हो।

TPS इसे '**खर्च न की गई ट्यूशन फीस**' कहता है।

आपको TPS को वह आर्थिक दस्तावेज़ देने की ज़रूरत होगी जिसमें आपकी कोर्स फीस और आपके प्रदाता (और आपके एजेंट, यदि कोई हो तो) को किए गए सभी भुगतानों का प्रमाण दिखाए गया हो। ये आपके रिफंड का हिसाब लगाने के लिए अत्यावश्यक है।

TPS आपकी रिफंड राशि का हिसाब लगाता है और TPS Online में बैंक अकाउंट विवरण प्रदान करने के लिए आपको एक ई-मेल भेजता है।

आप TPS Online में बैंक अकाउंट विवरण प्रदान करते/ती हैं। **TPS** आपने नामांकित बैंक अकाउंट में खर्च न की गई ट्यूशन फीस रिफंड करके इसकी प्रतिपूर्ति करता है।

यदि आप एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी हैं, **आपको** तीन महीने के अंदर किसी दूसरे प्रदाता के साथ नामांकन कराने की आवश्यकता है ताकि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना जारी रख सकें और अपने स्टुडेंट वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना जारी रखते हैं।